प्ररूप—क

[धारा २ (क) एवं धारा ४ देखें]

अनुबंध

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

यह अनुबंध आज दिनांक . . . . . माह . . . . . .वर्ष . . . . . .को प्रथम पक्ष श्री . . . . . पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री . . . . . .आयु . . . . . .निवासी . . . . . जिसे इसमें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी तथा समनुदेशिती सम्मिलित हैं) और द्वितीय पक्ष श्री . . . . . पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री . . . . . .आयु . . . . . .निवासी . . . . . जिसे इसमें इसके पश्चात् बटाईदार कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी सम्मिलित हैं), के बीच निष्पादित किया गया.

२. अनुबंधाधीन भूमि का विवरण खसरा नम्बर . . . . . रकबा . . . . . .कुल रकबा . . . . . ग्राम . . . . . .पटवारी हल्का . . . . . तहसील . . . . . जिला . . . . . .

३. अनुबंध की अवधि-दिनांक . . . . . .से दिनांक . . . . . .तक होगी.

४. अनुबंध अनुसार प्रतिफल—

(क) बटाईदार द्वारा भूमिस्वामी को प्रतिवर्ष राशि देय होने पर इस अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिये एक वर्ष के लिये निर्धारित देय राशि रु. (अंकों में) . . . . . .(शब्दों में) . . . . . .

(ख) अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिये एक वर्ष के लिये फसल का हिस्सा देय होने पर फसल का नाम एवं फसलवार भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख करें . . . . . .

(ग) यदि खाद, बीज, सिंचाई या अन्य किसी भी व्यय में भूमिस्वामी एवं बटाईदार के बीच होने वाले खर्च उठाने के संबंध में कोई शर्त तय हुई है तो उसका विवरण:— . . . . . .

(घ) (एक) प्रतिवर्ष राशि या फसल का हिस्सा देने की अंतिम तिथियां . . . . . .

(दो) प्रतिवर्ष राशि . . . . . .प्रतिशत की वृद्धि होगी,

(तीन) प्रतिवर्ष फसल के हिस्से में होने वाली वृद्धि का विवरण . . . . . .

५. (१) बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले सुधार कार्यों एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख . . . . . .

(२) सुधार कार्य के विषय में यदि उल्लेख नहीं है तो निर्मित संरचना भूमिस्वामी के स्वामित्व की हो जाएगी.

६. बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले आनुषंगिक कार्यों एवं शर्तों का स्पष्ट उल्लेख . . . . . .

७. प्राकृतिक आपदा या अन्यथा फसल हानि की स्थिति में देय सहायता . . . . . प्रतिशत बटाईदार तथा . . . . . .प्रतिशत भूमिस्वामी को प्राप्त करने का अधिकार होगा.

८. भूमिस्वामी यह स्वीकार करता है और वचन देता है कि वह अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा तथा बटाईदार के कब्जा दखल तथा कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यवधान नहीं डालेगा.

९. बटाईदार यह स्वीकार करता है तथा वचन देता है कि वह—

(१) अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा तथा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दिनांक के पूर्व भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा.

(२) अनुबंध या अनुबंध अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बटाईदार भूमिस्वामी को कब्जा वापस सौंप देगा.

(3) वह अनुबंधाधीन भूमि पर हक, कब्जा का अधिकार या अन्य कोई भी अधिकार प्राप्त करने के लिये अनुबंध को किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी भी न्यायालय में कोई वाद, आवेदन, याचिका नहीं लगाएगा. यदि ऐसा करने का कोई अधिकार उसे किसी विधि में प्राप्त हो तो भी वह ऐसे अधिकार का त्याग करता है.

१०. अनुबंध अवधि या अनुबंध समाप्त होने पर, भूमि विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी को स्वत: प्रतिवर्तित हो जाएगी तथा बटाईदार भूमि से बेदखल हो जावेगा एवं भूमिस्वामी का भूमि पर कब्जा हो जावेगा. इस हेतु किसी कार्रवाई या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी.

११. अनुबंध अवधि या अनुबंध की समाप्ति पर बटाईदार भूमि से कब्जा नहीं छोड़ता है तो तहसीलदार अधिनियम की धारा ११ के अधीन भूमिस्वामी का कब्जा पुन: स्थापित कराएगा तथा उस पर जुर्माना या सिविल जेल या दोनों का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा.

१२. भूमिस्वामी एवं बटाईदार दोनों यह अंगीकार करते हैं कि यदि वह अनुबंध का पालन नहीं करता है तो अधिनियम की धारा १० के अधीन तहसीलदार द्वारा जुर्माने से जो दस हजार रुपए प्रति हैक्टेयर तक का हो सकेगा, दण्डित किया जावेगा तथा अनुबंध का बलपूर्वक पालन कराया जावेगा.

आज दिनांक . . . . . .को स्थान . . . . . पर पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के सोच समझकर कण्डिका १ लगायत १२ यह अनुबंध सादे कागज पर हम पक्षकारों पक्षकार क्रमांक १ अनुबंधकर्ता भूमिस्वामी एवं पक्षकार क्रमांक २ अनुबंधग्रहीता बटाईदार ने दो साक्षियों के समक्ष सभी की पासपोर्ट साईज फोटो तथा मान्य पहचान-पत्र की प्रति इस अनुबंध पर चस्पा कर तीन प्रतियों में प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर एवं अंगूठा चिन्ह अंकित कराकर निष्पादित कर दिया है. अनुबंध की एक-एक प्रति प्रत्येक पक्षकार के पास सुरक्षित रखी जायेगी.

हस्ताक्षर
साक्षी क्रमांक—१
साक्षी क्रमांक—२

हस्ताक्षर
पक्षकार क्रमांक—१
पक्षकार क्रमांक—२

अँगूठा चिन्ह
पक्षकार क्रमांक—१ . . . . . .
पक्षकार क्रमांक—२ . . . . . .

टीप—1. अनुबंध पर उभय पक्षकारों के पासपोर्ट साईट फोटो चस्पा किए जाएं.

2. अनुबंध के साथ उभय पक्षों के वैद्य पहचान-पत्र संलग्न किए जाएं.

3. अनुबंध-पत्र तीन प्रतियों में तैयार किए जाएं.

4. प्रत्येक पक्षकार अनुबंध की एक प्रति अपने पास रखें.

5. उभय पक्ष अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे.

6. हस्ताक्षर के साथ अंगुष्ठ चिन्ह भी लगाना अनिवार्य है.